

78

श्री सुखदेवी न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

द्वारा आज दि 7-4-14 को प्रकरण क्रमांक

/2014 पुनरीक्षण निग-1148-III-14

पस्तुत
कलेक्टर ऑफ कोर्ट 7-4-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
11 अग

बालाराम पुत्र मिट्टू अहिरवार
आयु- 35 साल व्यवसाय-
काश्तकारी, निवासी- ग्राम बितर,
तहसील पृथ्वीरपुर, जिला टीकमगढ़,
म०प्र० --- आवेदक

Silman

बनाम

1. हल्के पुत्र सरमन पाल
2. खुमान पुत्र उत्तम अहिरवार
निवासीगण- ग्राम बितर, तहसील
पृथ्वीरपुर, जिला टीकमगढ़, म०प्र०
--- मूल अनावेदकगण
3. विठल्ले पुत्र श्री गनपत अहिरवार
आयु- 58 वर्ष, व्यवसाय-
काश्तकारी, निवासी- ग्राम पहाड़ी
बक्शी तहसील पृथ्वीपुर, जिला
टीकमगढ़ म०प्र०
---प्रोफार्मा अनावेदक
4. म०प्र० शासन
-----अनावेदकगण



पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व
संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 27/3/2014
पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़, के
प्रकरण क्रमांक 23/बी-121/2013-14 पुनरीक्षण
व उनवान हल्के आदि बनाम विठल्ले आदि ।

S

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1148-तीन/2014

जिला टीकमगढ़

बालाराम विरूद्ध हल्के

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 23/बी-121/2013 14 में पारित आदेश दिनांक 27-03-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-07-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p> <p>5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित</p>	


Handwritten signature and date:
28.12.18

किया जाता है। आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

3


(आर.के. जैन)
सदस्य
28.12.18